भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- लम्बित वसूली धनराशि रु. 1.93 लाख।

यू.पी. नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (यू.पी.अधिनियम क्र. 2 सं. 1916) के अध्याय -5 नगर पालिका (क्युनिसिपल) कराधान करों का अधिरोपण और परिवर्तन की धारा 128 से 165 तक अधिरोपित किये जा सकने वाले करों तथा उनके अधिरोपित किये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है।

नगर पंचायत, लण्ढौरा के अभिलेखों की जांच में संज्ञान में आया कि पंचायत गृहकर, तहबाजारी, दुकानों का किराया व अन्य यथा मुर्दा मवेशी के ठेके इत्यादि से आय अर्जित कर रही थी। मार्च 2017 तक गृहकर तहबाजारी व अन्य आय में अधोलिखित वसूली लम्बित थी।

क्र.सं.	मदों का विवरण	मार्च 2016 तक अवशेष मांग	मार्च 2017 तक कुल मांग	मार्च 2017 तक कुल वसूली	मार्च 2017 तक अवशेष वसुली
1	गृहकर	0.86	10.50	9.85	0.65
2	दुकान किराया	शून्य	2.00	1.95	0.05
3	अन्य आय	0.64	4.49	3.26	1.23
योग					1.93

उपरोक्त लम्बित वसूली के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर नगर पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि वसूली किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि देयता अवधि के लगभग एक वर्ष उपरान्त भी वसूली का लम्बित रहना पंचायत की उदासीन कार्य प्रणाली को दर्शाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- रु. 6.18 लाख उपकर की धनराशि वसूली नहीं किया जाना।

श्रम आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड़, श्रम भवन, हल्द्वानी के पत्र संख्या 1861/छः-24-बी.ए.ओ.सी./2010 दिनांक 15 जून 2012 के प्रावधानो के अनुसार विभिन्न प्रकरा के निर्माण कार्यों जिसमें सरकारी एवं अर्धसरकारी विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य भी सम्मिलित है में नियोजित श्रमिकों को हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु उत्तराखण्ड़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड़ का गठन किया गया है। निर्माण श्रमिकों को देय हितलाभ बार्ड़ की कल्याण निधि से दिये जाएगें। बोर्ड़ की कल्याण निधि में धन की व्यवस्था हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में संग्रह करके संग्रहित धनराशि बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से श्रम भवन हल्द्वानी को प्रेषित किया जाएगा। इकाई की लेखापरीक्षा अवधि माह 4/13 से 3/2017 तक की रोकड़ बही तथा निर्माण कार्यों हेतु भुगतानित देयकों रु. 61872145.00 के सापेक्ष 1% की दर से रु. 618721.00 उपकर की वसूली नहीं कि गयी थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि अनुबन्धों/आगणन में उपकर की राशि सम्मिलित नहीं थी। इस कारण से वसूली नहीं की गयी थी वर्तमान से आगणन/अनुबंध में उपकर की राशि का प्रावधान किया जाएगा एवं वसूली की जाएगी।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं क्योंकि उपरोक्त वित्तीय नियमों के अनुसार वसूली (Mandatory) आवश्यक रुप से करनी थी ओर धनराशि श्रम भवन हल्द्वानी को प्रेषित करनी थी।

अतः रु. 6.18 लाख उपकर की धनराशि वसूली नहीं किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में इसलिए लाया जा रहा है कि वर्तमान से धनराशि की वसूली यथाशीघ्र की जा सके ओर श्रम भवन हल्द्वानी को प्रेषित किया जाए।